

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25417/2011-12/

दिनांक :- 8-12-11

1. समस्त उप निदेशक,
(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग.....

विषय :- वर्ष 2009-10 में उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों की वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक शिविरा/माध्य/बजट/बी-1/25061/2011-12 दिनांक 15.06.11 द्वारा वर्ष 2009-10 में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में समानीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप पदस्थापित किये गये अध्यापकों के वेतन आहरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को बजट का आबंटन किया जाकर वेतन आहरण हेतु अधिकृत किया गया था, आगामी व्यवस्था तक इसे जारी रखा जावे। वर्ष 2009-10 में क्रमोन्नत इन 1830 विद्यालयों में इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/माध्य/बजट/बी-5/25417/2011-12 दिनांक 14.09.11 के द्वारा प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पदों का आबंटन जारी किया गया है एवं इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/माध्य/स्थरी-स/34180/सामान्य/2011-12/65 दिनांक 07.10.2011 द्वारा इन नवक्रमोन्नत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित किया जा चुका है। चूंकि इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण अभी डीडीओ कोड, ट्रेजरी कोड आबंटित होने की कार्यवाही नहीं हुई है। अतः उक्त विद्यालयों के लिए वेतन आहरण हेतु 03 में आहरण वितरण अधिकार अन्य विद्यालय के संस्था प्रधान को देने हेतु 07 दिवस में प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः सभी उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन वर्ष 2009-10 में नव क्रमोन्नत विद्यालयों में यदि पदस्थापन किया गया है एवं कार्यरत अध्यापकों के वेतन आहरण में कठिनाई आ रही है तो उसकी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के क्षेत्रवार सूचि बनाकर लेखा मदवार बजट आबंटन के प्रस्ताव 07 दिवस में निदेशालय के बजट अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित विद्यालयों को बजट आबंटन किया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

मुख्य लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 8-12-11

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25417/2011-12/
प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक) कार्यालय हाजा।
2. उप निदेशक (माध्यमिक अनुभाग) कार्यालय हाजा।
3. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग निदेशक महोदय।
4. अनुभाग अधिकारी संस्था एफ
5. रक्षित पत्रावली

6. सिस्टम रजिस्ट्रार, कम्प्यूटर अनुभाग
किताबी वेबसाइट पर ऑन लाइन करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर